

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग

क्रमांक : प.1(1)चि.स्वा./2/2020

जयपुर, दिनांक : 20.05.2021

आदेश


विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19.05.2021 के द्वारा MUCORMYCOSIS (ब्लैक फंगस) को राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अन्तर्गत MUCORMYCOSIS (ब्लैक फंगस) को सम्पूर्ण राज्य में महामारी तथा Notifiable Disease अधिसूचित किया गया है।

MUCORMYCOSIS (ब्लैक फंगस) मरीजों को समुचित गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के दृष्टिगत ऐसे सरकारी व निजी अस्पतालों को ही MUCORMYCOSIS (ब्लैक फंगस) के उपचार हेतु अधिकृत किया जाना आवश्यक है जिनके पास आवश्यक मानव संसाधन (निर्धारित योग्यता रखने वाले विशेषज्ञ चिकित्सक) एवं आधारभूत आवश्यक संरचना एवं उपकरण उपलब्ध हो। ऐसी स्थिति में MUCORMYCOSIS (ब्लैक फंगस) के मरीजों के उपचार हेतु अधिकृत किये जाने वाले अस्पतालों के लिए निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं:-

- 1- NABH Entry level accreditation.
- 2- ENT Surgeon Availability round the clock.
- 3- MD Medicine Availability round the clock.
- 4- Following equipments need to be there in the Hospital :
  - a) Microdebrider
  - b) Coblation
  - c) High speed drill system
  - d) HD endoscopic Camera system.
- 5- ENT Surgeon should have done Surgery for MUCORMYCOSIS.
- 6- ICU Facility with critical care speciality availability round the clock.


संलग्नक अ पर अंकित राजकीय/निजी चिकित्सालयों को उक्त मानदण्डों को पूर्ण करने के दृष्टिगत MUCORMYCOSIS (ब्लैक फंगस) के मरीजों के उपचार हेतु अधिकृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त अन्य राजकीय व निजी अस्पताल जो वर्तमान में या भविष्य में उक्त मानदण्डों को पूरा करते हैं, उनके प्रबन्धन द्वारा MUCORMYCOSIS (ब्लैक फंगस) के मरीजों के उपचार हेतु अधिकृत करने के लिए आवेदन पोर्टल <http://abmgrsbyapp.health.rajasthan.gov.in> पर किया जा सकता है।

  
(अखिल अरोरा)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
7. मिशन निदेशक, एन. एच. एम., मुख्यालय, जयपुर
8. समस्त जिला कलक्टर, राज.
9. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
10. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राज.
11. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज.
12. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, राज.
13. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
14. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
15. निजी /रक्षित पत्रावली

  
(संजय कुमार)  
शासन उप सचिव

MUCORMYCOSIS (ब्लैक फंगस) के मरीजों उपचार  
हेतु अधिकृत राजकीय/निजी चिकित्सालयों की सूची

| क्र०सं | नाम  |
|--------|--|
| 1.     | सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर                       |
| 2.     | राजकीय रुकमणी देवी बेनी प्रसाद जयपुरिया अस्पताल, जयपुर |
| 3.     | राजकीय मेडिकल कॉलेज, जोधपुर                            |
| 4.     | एम्स, जोधपुर   |
| 5.     | जे.एल. एन. मेडिकल कॉलेज, अजमेर                         |
| 6.     | आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज, उदयपुर                         |
| 7.     | राजकीय मेडिकल कॉलेज, बीकानेर                           |
| 8.     | राजकीय मेडिकल कॉलेज, कोटा                              |
| 9.     | राजकीय मेडिकल कॉलेज, भीलवाडा                           |
| 10.    | महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, जयपुर                      |
| 11.    | गीतांजली मेडिकल कॉलेज, उदयपुर                          |
| 12.    | जैन ई.एन.टी. अस्पताल, जयपुर                            |
| 13.    | नारायण हृदयालय अस्पताल, जयपुर                          |
| 14.    | सी.के.एस. हॉस्पिटल, जयपुर                              |
| 15.    | सोनी हॉस्पिटल, जयपुर                                   |
| 16.    | सिद्धम ई.एन.टी. हॉस्पिटल, जयपुर                        |
| 17.    | देशबन्धू ई.एन.टी. हॉस्पिटल, जयपुर                      |
| 18.    | विजय ई.एन.टी. हॉस्पिटल, अजमेर                          |
| 19.    | श्रीराम हॉस्पिटल, जोधपुर                               |
| 20.    | वैजयन्ती हॉस्पिटल, अलवर                                |